



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23112022-240507
CG-DL-E-23112022-240507

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 752]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 23, 2022/अग्रहायण 2, 1944

No. 752]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 23, 2022/AGRAHAYANA 2, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2022

सं. 24/2022 - केंद्रीय कर

सा.का.नि. 843(अ).—केंद्रीय सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय माल और सेवा कर नियम 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय माल और सेवाकर (चौथा संशोधन) नियम, 2022 है।
(2) ये तारीख 1 दिसम्बर, 2022 से प्रवृत्त होंगे।
- केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 में, -
 - नियम 122 का लोप कर दिया जाएगा;
 - नियम 124 और नियम 125 का लोप कर दिया जाएगा;
 - नियम 127 में, "कर्तव्य" शब्द के स्थान पर, जहां कहीं भी वह आता है, "कृत्य" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;
 - नियम 134 का लोप कर दिया जाएगा;
 - नियम 137 का लोप कर दिया जाएगा;

(च) नियम 137 के पश्चात के स्पष्टीकरण में, खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

‘(क) “प्राधिकरण” से अधिनियम की धारा 171 की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचित प्राधिकरण अभिप्रेत है;’।

[फा. सं. सीबीआईसी-20/2/2022-जीएसटी]

विक्रम विजय वानेरे, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यां 3/2017-केंद्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017, सा.का.नि. संख्यांक 610 (अ), तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं. 22/2022-केंद्रीय कर, तारीख 15 नवम्बर, 2022, सा.का.नि. 817 (अ) तारीख 15 नवम्बर, 2022 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd November, 2022

No. 24/2022 – Central Tax

G.S.R. 843(E).—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, namely: —

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Central Goods and Services Tax (Fourth Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force with effect from 1st day of December, 2022.

2. In the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, —

(a) rule 122 shall be omitted;

(b) rules 124 and 125 shall be omitted;

(c) in rule 127,-

(i) in the marginal heading, for the word “Duties”, the word “Functions”, shall be substituted;

(ii) for the words “It shall be the duty of the Authority,-”, the words “The authority shall discharge the following functions, namely:—” shall be substituted;

(d) rule 134 shall be omitted;

(e) rule 137 shall be omitted;

(f) after rule 137, in the Explanation, for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:—

‘(a) “Authority” means the Authority notified under sub-section (2) of section 171 of the Act;’.

[F. No. CBIC-20/2/2022-GST]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification No. 3/2017-Central Tax, dated the 19th June, 2017, published, *vide* number G.S.R. 610(E), dated the 19th June, 2017 and were last amended, *vide* notification No.22/2022 -Central Tax, dated the 15th November, 2022, *vide* number G.S.R. 817(E), dated the 15th November, 2022.